

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

गीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

सुकदमा नम्बर 178/2024 प्रार्थनापत्र

01. चांदमल पुत्र श्री कंवर लाल महाजन आयु वयस्क निवासी- चांदरास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

---- विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

स्थित :-

श्री अशोक कुमार लखार
पैरोकार सरकार

---अधिवक्ता प्रार्थी
---उपस्थित


:: निर्णय ::

दिनांक- 04.11.2024

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा- 251-ए राज0 नेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद चांदरास पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि राजियात जिसके आराजी नम्बर 2515/422 रकबा 0.7583 हैक्टर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो चांदरास से करेड़ा सड़क आराजी नम्बर 423 से होकर होकर विपक्षी की बिलानाम आराजी नम्बर 422 रकबा 2.9846 हैक्टर होकर होकर अपनी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 2515/422 में आता जाता है। जिसमें से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस मिल होने के पश्चात प्रकरण में मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता अथवा नहीं या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नहीं, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र में वर्णित धारों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाड़ी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा


मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद चांदरास पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में आराजी नम्बर 2515/422 रकबा 0.7583 हैक्टर दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 422 रकबा 2.9846 हैक्टर विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है, मौके पर वर्तमान में उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चांदरास-करेड़ा सड़क आराजी नम्बर 423 से विपक्षी की आराजी नम्बर 422 जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप में 713 वर्गमीटर भूमि आती है, रास्ते में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैंने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, प्रार्थी की आराजी नम्बर 2515/422 रकबा 0.7583 हैक्टर में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 422 में 30 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद चांदरास पटवार हल्का चांदरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) आराजी नम्बर 2515/422 रकबा 0.7583 हैक्टर में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 422 रकबा 2.9846 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ाई (लम्बाई 78 मीटर चौड़ाई 9.1463 मीटर) के रूप में कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा में प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए दी जाने वाली भूमि 713 वर्गमीटर बनती है, जिसकी हैक्टर में गणना कर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दोगुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)